अपवाद

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अंतिम निर्णय दिनांक 25/10/19

APP-A

Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नेतसिंह पुत्र स्व० श्री उमेदसिंह रावत, निवासी ग्राम लाखामाड़ा, कोटड़ा, तह० ब्यावर (अजमेर) बनाम रामसिंह पुत्र स्व० श्री उमेदसिंह रावत, नि० ग्राम लाखामाड़ा, कोटड़ा, तह० ब्यावर (राज०) वगै०

किस्म मुकदमा 225 राज० काश्त० अधि० नम्बर 411/2019 सन् 2019 (ब्यावर)

(रोहित झारवेड़ा)

2019/00411

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सूरजसिंह चौहान, एड० अपी० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
25.10.19	यह अपील श्री सुरज सिंह चौहान एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 27.08.2019, प्रकरण संख्या 56/2019 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 नहीं करवाना चाहते है एवं आये दिन आराजीयात के लगान व हिस्से को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है व वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट का 1/3 हिस्सा निहित चला आने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 02 अपीलांट के 1/3 हिस्से से भी ज्यादा भाग पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करवा कर चार दीवारी आदि बनाने पर आमादा होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 01से02 से दिनांक 25.06.2019 को व्यक्तिगत मिलकर उपरोक्त भूमियों का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करवा कर अलगर अलग खातेदारी करवा लेने का निवेदन किया है लेकिन रेस्पोडेन्टस के साथ –साथ उनके परिवानजन वादग्रस्त भूमियों का बंटवारा नहीं करवाना चाहते है व उनके कहने पर रेस्पोडेन्टस ने बंटवारा करवा देने से साफ मना कर दिया व उसके पश्चात मनमर्जी अनुसार अपने हिस्सो से भी अधिक भूमि पर नाजायत एवं गैरकानूनी रूप से पत्थर की दीवार बनाकर कब्जा करने पर आमादा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 151 जा.दी. में निवेदन किया गया कि ताफैसला वाद पत्र विवादित जायदाद पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न करें/न करावें एवं वादग्रस्त आराजीया की मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश न्यायहित में पारित फरमाया जावे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत वास्ते दस्तावेजी सबूत के विरूद्व एवं न्याय नियम व विधि के प्रावधानो के प्रतिकूल एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात के मौका की यथास्थिति से रेस्पोडेन्टस को पाबंद नहीं किया जाता है तो अपीलांट को अपनी खातेदारी आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा जिससे अपीलांट को भयंकर असहनीय क्षति कारित होगी। दिनांक 18.10.2019 को रेस्पोडेन्टस व उनके परिवानजन भारी मात्रा में पत्थर की चार दीवारी करवा अपीलांटस के हिस्से पर भी नाजायज कब्जा कर रहे है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने के कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बाबत् आदेश भी विचारण न्यायायल को प्रदान करने चाहिए थे जो उनके द्वारा प्रदान नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2019 से	निरन्तर......

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

P.T.O.

ब्यावर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

411/2019/225

नेतसिंह बनाम रामसिंह वगै०

तारीख पेशी	2019/00411 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइन्स हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री सूरजसिंह चौहान, एड. श्री	
निस्तर...	आंशिक असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांट के पक्ष में है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि ताफैसला मूल अपील वादग्रस्त आराजीयात की मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु एवं वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी भाग में किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि नहीं करने एवं करवाने बाबत् रेस्पोडेन्टस को पाबंद फरमाया जावे अथवा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2019 को अपास्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टस को पाबंद फरमाया जावे कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूल अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीया पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न करें / न करावें एवं वादग्रस्त आराजीयात की मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकार्ड अवलोकन से जाहिर है कि उभयपक्षों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी यथास्थिति के आदेश से संरक्षित किया जाना न्यायसंगत है। चूँकि अपीलांटस / वादीगण ने अपने वाद पत्र में भी विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्व नक्शें, जमाबंदी अनुसार बंटवारा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसका निस्तारण बाद साक्ष्य व सुनवाई होना है इसलिए न्यायहित में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवादित आराजी के भौतिक स्थिति एवं राजस्व अभिलेख को यथावत् रखा जाना न्यायहित में उचित है। **अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 60 दिवस में करें तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 02–09–10 बीघा, खसरा नम्बर 37 रकबा 00–19–00 बीघा,खसरा नम्बर 39 रकबा 00–04–10 बीघा वाकै ग्राम रोहिड़ाखेड़ा तहसील ब्यावर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण हो जाने पर न्यायालय हाजा को आदेश निष्प्रभावी रहेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	